<u>नोट–उपस्थित परिवादी साक्षी चंन्द्रशेखर सेन को आज दिनांक–03.03.2020 को पुनः शपथ दिलाई जाकर प्रारंभ किया गया।</u>

35. यह कहना सही है कि मैने अपने वाहन को आरोपी से किस तारीख को वापस लाया इस बात का उल्लेख मेरे परिवाद पत्र एवं शपथपत्रीय साक्ष्य में उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि परिवाद पत्र में आरोपी के साथ वाहन का भाडा कितने रूपये प्रतिदिन सुनिश्चित हुआ था इस बात का उल्लेख परिवाद पत्र में नहीं है। साक्षी स्वतः कहता है कि किराया भाडा की बाते आरोपी के साथ मौखिक रूप से हुआ था जिसमें वाहन की क्षति भी समाहित थी।

36. यह कहना गलत है कि आरोपी द्वारा क्रय किये जाने वाहन फायनेंस नही होने से मेरे व आरोपी के मध्य निष्पादित प्रदर्स पी–6 का इकरारनामा स्वतः निरस्त हो गया था। यह कहना सही है कि मैने आरोपी द्वारा लिये गये अग्रिम राशि तथा एग्रीमेंट वगैरह को आरेापी को वापस नहीं किया है।

प्रश्न– वाहन सीज करने के बाद अभियुक्त द्वारा आपको दिये गये अग्रिम बयाना राशि, एक–एक लाख रूपये का चेक व फायनेंस कराने हेतु दिये गये दस्तावेज आपने अभियुक्त को वापस नहीं किया है ?

उत्तर–अमानत राशि मेरे पास है। अनुंबध की प्रतिलिपि मेरे पास है। एक–एक लाख रूपये का चेक जो फायनेंस के बाद देना था वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न–आरोपी ने आपको वाहन नहीं खरीदने संबंधी बाते कब बताई थी ?

उत्तर–मुझे अप्रैल, मई–2017 में आरोपी ने कहा कि मै आपका वाहन नहीं खरीद सकता। साक्षी स्वतः कहता है कि मै जनवरी से अप्रेल तक आरोपी के यह आश्वासन देने पर कि मै अपना धान बेचकर ट्रक का विक्रय प्रतिफल भुगतान करूंगा कहने पर प्रतिक्षा कर रहा था।

37. यह कहना गलत है कि मै जब आरोपी से वाहन लेकर गया तब वह चालू हालत में थी । स्वतः कहा कि वह वाहन बहुत डेमेज हालत में थी। उसका टायर वगैरह सब कमजोर था। केबिल पूरा हिल रहा था।

38. यह कहना गलत है कि आरेापी मुझसे वाहन लेकर उसे संचालित नहीं कर रहा था। यह कहना गलत है कि मै आरोपी द्वारा मना करने से पहले गाडी खींच लिया था। स्वतः कहा कि उक्त गाडी मैने वेलुवेशन करने हेतु खडी कराई थी न कि जबरदस्ती आरोपी से वाहन खींच लिया था।

39. यह कहना सही है कि वाहन मैग्माफाईनेंस से फायनेंस होने संबंधी बाते परिवाद में वर्णित नहीं है। यह कहना सही है कि फायनेंस कंपनी वाले वाहन के वेलूवेशन हेतु कब आने वाले थे इस बात का भी उल्लेख मेंरे द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रीय साक्ष्य, परिवाद पत्र और आरोपी को प्रेषित नोटिस में नही है।

40. यह कहना गलत है कि आरोपी द्वारा फायनेस हेतु जो प्रश्नाधीन धनादेश प्र0पी–1 मुझे प्रदान किया था उसे दुरूपयोग करते हुए मैने आरोपी के विरूद्ध झूठा परिवाद प्रस्तुत किया हूं। यह कहना गलत है कि मैने आरोपी द्वारा अपने दिये हुए पैसे की मांग किये जाने से बचने के लिए आरोपी के विरूद्ध इस न्यायालय में झूठा परिवाद प्रस्तुत किया हूं।

वांचित/सत्य स्वीकृत

सही/–

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

<u>प्रमाण पत्र</u>

मैं पुष्टि करती हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नामः– श्रीमती करूणा हंसा